

अनुदान संख्या 3 - पशुपालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग
GRANT No. 3 - DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)					
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	2021,21,00	2021,25,00	1647,46,06	-373,78,94
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				334,94,00
पूंजीगत:	Capital:				
स्वीकृत-	Voted -		16,74,00	10,77,07	-5,96,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,66,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	2105.00	1932.00	1779.39	-152.61
पु.	R.	-173.00			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "2403" पशुपालन	Major Head "2403" Animal Husbandry			
मू.	O. 63539.00	48395.79	45540.48	-2855.31
पू.	S. 1.00			
पु.	R. -15144.21			
मुख्य शीर्ष "2404" डेरी विकास	Major Head "2404" Dairy Development			
मू.	O. 55479.00	51458.00	51344.11	-113.89
पू.	S. 2.00			
पु.	R. -4023.00			
मुख्य शीर्ष "2405" मत्स्य पालन	Major Head "2405" Fisheries			
मू.	O. 19352.00	20133.00	19626.28	-506.72
पु.	R. 781.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O. 15014.00	1.00	..	-1.00
पू.	S. 1.00			
पु.	R. -15014.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O. 45894.00	45249.06	44995.65	-253.41
पु.	R. -644.94			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments			
मू.	O. 738.00	1462.15	1460.15	-2.00
पु.	R. 724.15			

(I) ₹18809.00 लाख का प्रावधान पचपन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹17732.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष “2403” -

(क) “मांस प्रसंस्करण” -

(i) “ग्रामीण बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण” - ₹167.00 लाख;

(ii) “मृत पशुओं का उपयोग” - ₹167.00 लाख; और

(iii) “कटरों का बचाव और पालन पोषण” - ₹167.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ख) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - एवियन इन्फ्ल्यूएंजा के नियंत्रण और रोकथाम की तैयारी” - ₹400.00 लाख दो जैव सुरक्षा प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए विश्व बैंक से मंजूरी मिलने में प्रक्रियात्मक विलंब होने/मंजूरी न मिलने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष “2404” - “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - राष्ट्रीय डेरी योजना” - ₹2000.00 लाख स्कीम के अनुमोदन में विलंब की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष “2552” -

(क) “पशु पालन - गाय और भैंस विकास” -

(i) “एकीकृत नमूना सर्वेक्षण” - ₹105.00 लाख;

(ii) “राष्ट्रीय गाय और भैंस प्रजनन परियोजना” - ₹1655.00 लाख;

(1) Provision of ₹18809.00 lakhs remained wholly unutilised under fifty five heads; of these ₹17732.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2403” -

(a) “Meat Processing” -

(i) “Establishment / Modernization of rural slaughter houses” - ₹167.00 lakhs;

(ii) “Utilization of Fallen Animals” - ₹167.00 lakhs; and

(iii) “Salvaging and Rearing of Male Buffalo Calves” - ₹167.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to non-receipt of viable proposals from National Bank for Agriculture and Rural Development

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Preparedness Control and Containment of Avian Influenza” - ₹400.00 lakhs - due to procedural delay/non-receipt of clearance from the World Bank for construction of two Biosafety Laboratories.

(B) Major Head “2404” - “Special Component Plan for Scheduled Castes - National Dairy Plan” - ₹2000.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage owing to late approval of scheme.

(C) Major Head “2552” -

(a) “Animal Husbandry - Cattle and Buffalo Development” -

(i) “Integrated Sample Survey” - ₹105.00 lakhs;

(ii) “National Project on Cattle and Buffalo Breeding” - ₹1655.00 lakhs;

- | | |
|--|--|
| (iii) “पशु बीमा” - ₹441.00 लाख; | (iii) “Livestock Insurance” – ₹441.00 lakhs; |
| (ख) “पशुपालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य” - | (b) “Animal Husbandry – Veterinary Services and Animal Health”- |
| (i) “क्षेत्रीय रोग नैदानिक रेफरल प्रयोगशालाएं” - ₹189.00 लाख; | (i) “Regional Disease Diagnostic Referral Laboratories” – ₹189.00 lakhs; |
| (ii) “पशु रोग नियंत्रण” - ₹2433.00 लाख; | (ii) “Animal Disease Control” – ₹2433.00 lakhs; |
| (iii) “एवियन इन्फ्लुएंजा नियंत्रण और रोकथाम संबंधी तैयारी” - ₹797.00 लाख; | (iii) “Preparedness Control and Containment of Avian Influenza” – ₹797.00 lakhs; |
| (iv) “विद्यमान अस्पतालों/औषधालयों का सुदृढीकरण” - ₹1180.00 लाख; | (iv) “Strengthening of existing hospitals/ dispensaries” – ₹1180.00 lakhs; |
| (v) “राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली” - ₹225.00 लाख; | (v) “National Animal Disease Reporting System (NADRS)” – ₹225.00 lakhs; |
| (vi) “राष्ट्रीय ब्रूसलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹400.00 लाख; | (vi) “National Control Programme on Brucellosis” – ₹400.00 lakhs; |
| (ग) “पशुपालन - भेड़ और ऊन विकास - जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का एकीकृत विकास” - ₹132.00 लाख; | (c) “Animal Husbandry - Sheep and Wool Development – Integrated Development of Small Ruminants” – ₹132.00 lakhs; |
| (घ) “पशुपालन - चरागाह और चारा विकास - चारा विकास स्कीम” - ₹525.00 लाख; | (d) “Animal Husbandry – Feed and Fodder Development – Fodder and Feed Development Scheme” – ₹525.00 lakhs; |
| (ङ) “पशु पालन - कुक्कुट विकास” - | (e) “Animal Husbandry – Poultry Development” - |
| (i) “ग्रामीण अहाता कुक्कुट विकास” - ₹350.00 लाख; | (i) “Rural Backyard Poultry Development” – ₹350.00 lakhs; |
| (ii) “कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि” - ₹552.00 लाख; | (ii) “Poultry Venture Capital Fund” – ₹552.00 lakhs; |
| (च) “मत्स्य पालन - अंतरदेशीय मत्स्य पालन - अंतरदेशीय जल संस्कृति और मत्स्य पालन का विकास” - ₹265.00 लाख; | (f) “Fisheries- Inland Fisheries – Development of Inland Aquaculture and Fisheries” – ₹265.00 lakhs; |

- (छ) “मत्स्य पालन - समुद्री मत्स्य पालन” -
- (i) “राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण और मत्स्य पालन प्रशिक्षण एवं विस्तार” - ₹430.00 लाख;
- (ii) “समुद्री मत्स्य पालन, अवसंरचना और फसल के बाद के कार्यों का विकास” - ₹783.00 लाख;
- (ज) “मत्स्य पालन - ज्वार नदीमुखीय/खारा जल मत्स्य पालन - मत्स्य पालन सेक्टर के डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढीकरण” - ₹110.00 लाख;
- (झ) “मत्स्य पालन - अन्य व्यय - राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड” - ₹1192.00 लाख;
- (ञ) “डेरी विकास - डेरी विकास परियोजनाएँ” -
- (i) “सघन डेरी विकास कार्यक्रम” - ₹361.00 लाख (नवंबर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे;
- (ii) “गुणता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए अवसंरचना का सुदृढीकरण” - ₹205.00 लाख; और
- (iii) “डेरी उद्यमिता विकास” - ₹971.00 लाख।
- (g) “Fisheries - Marine Fisheries” -
- (i) “National Welfare of Fishermen and Fisheries Training and Extension” - ₹430.00 lakhs;
- (ii) “Development of Marine Fisheries, Infrastructure and Post Harvest Operations” - ₹783.00 lakhs;
- (h) “Fisheries – Estuarine/brackish Water Fisheries – Strengthening of Database and Geographical Information System of the Fisheries Sector” - ₹110.00 lakhs;
- (i) “Fisheries – Other Expenditure – National Fisheries Development Board” - ₹1192.00 lakhs;
- (j) “Dairy Development- Dairy Development Projects” -
- (i) “Intensive Dairy Development Programme” - ₹361.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in November, 2011);
- (ii) “Strengthening Infrastructure for Quality and Clean Milk Production” - ₹205.00 lakhs; and
- (iii) “Dairy Entrepreneurship Development” - ₹971.00 lakhs.
- प्रावधान उपर्युक्त इक्कीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।
- (iv) “सहकारिताओं को सहायता” - ₹110.00 लाख।
- (iv) “Assistance to Cooperatives” - ₹110.00 lakhs.

Provisions under the above twenty one heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(v) “राष्ट्रीय डेरी योजना” - ₹1104.00 लाख; और

(v) “National Dairy Plan” – ₹1104.00 lakhs;
and

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals from North Eastern Region and Sikkim.

(घ) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पशुपालन - गाय और भैंस विकास - पशु गणना” - ₹ 316.00 लाख राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(D) Major Head “3601” – “Grants for Central Plan Schemes - Animal Husbandry - Cattle and Buffalo Development – Livestock Census” – ₹316.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from the State Governments.

(II) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - पशुपालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग” के अंतर्गत 325.61 लाख की बचत (₹2105.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “3451” – “Secretariat – Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries” – saving of ₹325.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2105.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष “2403” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(III) Under Major Head “2403” - savings occurred under the following heads:-

(का) “पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य” -

(A) “Veterinary Services and Animal Health” -

(क) “पाद एवं मुख रोग नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹2500.00 लाख की बचत (₹10627.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिर्माणकर्ताओं से पाद एवं मुख रोग वैक्सीन की कम आपूर्ति किए जाने के कारण हुई।

(a) “Foot and Mouth Diseases Control Programme” – saving of ₹2500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10627.00 lakhs) was due to short supply of Foot and Mouth Diseases vaccine doses by manufacturers

(ख) “एवियन इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण और रोकथाम की तैयारी” - ₹6022.77 लाख की बचत (₹6023.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक विलंब/विश्व बैंक से दो जैव सुरक्षा प्रयोगशालाओं के निर्माण किए जाने की मंजूरी प्राप्त न होने के कारण हुई।

(b) “Preparedness Control and Containment of Avian Influenza” – saving of ₹6022.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6023.00 lakhs) was due to procedural delay/non-receipt of clearance from World Bank for construction of two Biosafety Laboratories

(खा) “गाय और भैंस विकास” -

(B) “Cattle and Buffalo Development”-

(क) “केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म” - ₹268.24 लाख की बचत (₹2670.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा

(a) “Central Cattle Breeding Farms” – saving of ₹268.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2670.00 lakhs) was due to non-filling up

विभिन्न इकाइयों के निर्माण कार्य के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

of vacant posts and requirement of less funds towards construction work of different units by Central Public Works Department.

(ख) “राष्ट्रीय गाय और भैंस प्रजनन परियोजना” - ₹1465.84 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹13771.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के विशेष पैकेज के पूरे होने और संबंधित राज्य द्वारा पूरा प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जाने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधानों में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) “National Project for Cattle and Buffalo Breeding” – saving of ₹1465.84 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹13771.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh obtained in March, 2012) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to completion of special package of the scheme and non-submission of full proposal by the concerned State.

(गा) “कुक्कुट विकास” -

(C) “Poultry Development”-

(क) “केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन” - ₹189.21 लाख की बचत (₹2246.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(a) “Central Poultry Development Organizations” – saving of ₹189.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2246.00 lakhs) was due to slow progress of works by Central Public Works Department.

(ख) “ग्रामीण आहाता कुक्कुट विकास” - ₹103.88 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मदर इकाई/संबंधित एजेंसी से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) “Rural Backyard Poultry Development” – saving of ₹103.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Mother Unit/concerned agency.

(ग) “कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि” - ₹2920.00 लाख की बचत (₹3648.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(c) “Poultry Venture Capital Fund” – saving of ₹2920.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3648.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from National Bank for Agriculture and Rural Development and other implementing agencies.

(घा) “भेड़ और ऊन विकास - जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास” - ₹1573.50 लाख की बचत (₹1875.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के विशेष पैकेज का पूरा होने और कार्यान्वयन एजेंसी के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(D) “Sheep and Wool Development – Integrated Development of Small Ruminants and Rabbits” – saving of ₹1573.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1875.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to completion of special package of the scheme and availability of unspent balances with the implementing agency.

- (ड) “चरागाह और चारा विकास” -
- (क) “क्षेत्रीय चारा उत्पादन और निदर्शन केंद्र” - ₹733.06 लाख की बचत (₹1675.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (ख) “चारा और चरागाह विकास स्कीम” - ₹671.29 लाख की बचत (₹1064.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के विशेष पैकेज की परियोजना अवधि पूरी होने के कारण हुई।
- (चा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” -
- (क) “राष्ट्रीय गाय और भैंस प्रजनन परियोजना” - ₹1234.20 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4520.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के विशेष पैकेज के पूरे होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि” - ₹672.00 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (ग) “जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास” - ₹1000.70 लाख की बचत (₹1300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के विशेष पैकेज के पूरा होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।
- (घ) “अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य संगठन” - ₹248.22 लाख की बचत (₹395.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (E) “Feed and Fodder Development” -
- (a) “Regional Stations for Forage Production and Demonstration” – saving of ₹733.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1675.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of viable proposals.
- (b) “Fodder and Feed Development Scheme” – saving of ₹671.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1064.00 lakhs) was due to completion of project period of the special package of the scheme.
- (F) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -
- (a) “National Project for Cattle and Buffalo Breeding” – saving of ₹1234.20 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4520.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh obtained in March, 2012) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to completion of special package of the scheme.
- (b) “Poultry Venture Capital Fund” – saving of ₹672.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from National Bank for Agriculture and Rural Development.
- (c) “Integrated Development of Small Ruminants and Rabbits” – saving of ₹1000.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs) was due to reduction of provisions at revised estimates stage owing to completion of special package of the scheme.
- (G) “International Co-operation – Other Organisations” – saving of ₹248.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹395.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from various International bodies.

(IV) मुख्य शीर्ष “2404” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “डेरी विकास परियोजनाएं - राष्ट्रीय डेरी योजना” - ₹6496.00 लाख की बचत (₹6896.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को विलंब से अनुमोदन प्राप्त होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) “दिल्ली दुग्ध योजना” -

(क) “प्रशासन” - ₹312.00 लाख की बचत (₹1308.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) “प्रसंस्करण” - ₹1168.43 लाख की बचत (₹4138.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) “वितरण” - ₹127.38 लाख की बचत (₹1098.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) “परिवहन” - ₹194.74 लाख की बचत (₹928.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा कम राजस्व प्राप्ति के कारण हुई।

(गा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - सहकारिताओं को सहायता” - ₹150.00 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित एजेंसियों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “2405” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “ज्वार नदीमुखीय/खारा पानी मत्स्य पालन - अवतरण तथा लंगरगाह सुविधाएं” - ₹133.00 लाख की बचत (₹350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इंजीनियरी अन्वेषण न किए जाने और वाहन की खरीद का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head “2404” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Dairy Development Projects – National Dairy Plan” – saving of ₹6496.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6896.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to late approval of scheme.

(B) “Delhi Milk Scheme”-

(a) “Administration” – saving of ₹312.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1308.00 lakhs);

(b) “Processing” – saving of ₹1168.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4138.00 lakhs);

(c) “Distribution” – saving of ₹127.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1098.00 lakhs); and

(d) “Transport” – saving of ₹194.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹928.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to less revenue receipt by Delhi Milk Scheme.

(C) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Assistance to Cooperatives” – saving of ₹150.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from concerned agencies.

(V) Under Major Head “2405”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Estuarine/Brackish Water Fisheries – Landing and Berthing Facilities” – saving of ₹133.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹350.00 lakhs) was due to non-conducting of engineering investigations and non-materialisation of purchase of vehicles.

- (खा) “समुद्री मछली पालन” -
- (क) “भारतीय मत्स्य पालन सर्वेक्षण” - ₹210.79 लाख की बचत (₹4100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, सर्वेक्षण कार्य न किए जाने और शुल्क गोदी मरम्मत को पूरा करने में विलंब होने के कारण हुई।
- (ख) “तटवर्ती मछली पालन” - ₹324.53 लाख की बचत (₹3015.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भर जाने, व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (गा) “विस्तार और प्रशिक्षण - केंद्रीय समुद्री मछली पालन इंजीनियरी प्रशिक्षण केंद्र” - ₹110.61 लाख की बचत (₹1566.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भर जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (घा) “अन्य व्यय -मछली पालन सेक्टर के डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढीकरण” - ₹163.65 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय मत्स्य पालन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, बैरकपुर से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (VI) मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-
- (का) “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान -मत्स्य पालन - ज्वार नदीमुखीय/खारा पानी मछली पालन - मत्स्य पालन सेक्टर के डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढीकरण” - ₹289.86 लाख की बचत (₹580.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (खा) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों” -
- (क) “पशुपालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य” -
- (B) “Marine Fisheries”-
- (a) “Fishery Survey of India” – saving of ₹210.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4100.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-conducting of survey operations and delay in completion of dry docking repairs.
- (b) “Off-shore Fisheries” – saving of ₹324.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3015.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of viable proposals and economy measures
- (C) “Extension and Training - Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training” – saving of ₹110.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1566.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures
- (D) “Other Expenditure – Strengthening of Database and Geographical Information system of the Fisheries Sector” – saving of ₹163.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposal from Central Institute of Fisheries Research and Training, Barrakpore.
- (VI) Under Major Head “3601” - savings occurred under the following heads:-
- (A) “Grants for Central Plan Schemes – Fisheries – Estuarine / Brackish Water Fisheries – Strengthening of Database and Geographical Information System of the Fisheries Sector” – saving of ₹289.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹580.00 lakhs); and
- (B) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -
- (a) “Animal Husbandry –Veterinary Services and Animal Health” –

- (i) “पाद और मुख रोग नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹2396.33 लाख की बचत (₹4353.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

- (ii) “राष्ट्रीय पेस्ट डेस पेटिस रूमिनेंट नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹732.05 लाख की बचत (₹923.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से स्पष्ट प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

- (ख) “पशुपालन - चरागाह और चारा विकास - चरागाह और चारा विकास स्कीम” - ₹975.00 लाख की बचत (₹3420.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने की वजह से राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

- (ग) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” -

- (i) “पशुपालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य” - ₹3906.32 लाख की बचत (₹6500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

- (ii) “पशुपालन कुक्कुट विकास” - ₹307.11 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

- (iii) “डेरी विकास - डेरी विकास परियोजनाएं” - ₹748.26 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

- (iv) “मत्स्य पालन - समुद्री मछली पालन” - ₹700.01 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

- (i) “Foot and Mouth Disease Control Programme” – saving of ₹2396.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4353.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balances with the State Governments.

- (ii) “National Control Programme of Peste des Petits Ruminants (PPR)” – saving of ₹732.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹923.00 lakhs) was due to non-receipt of clear proposals from the State Governments.

- (b) “Animal Husbandry- Feed and Fodder Development – Fodder and Feed Development Scheme” – saving of ₹975.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3420.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments owing to availability of unspent balances of previous years.

- (c) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

- (i) “Animal Husbandry – Veterinary Services and Animal Health” – saving of ₹3906.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs);

- (ii) “Animal Husbandry Poultry Development” – saving of ₹307.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs);

- (iii) “Dairy Development – Dairy Development Projects” – saving of ₹748.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs);

- (iv) “Fisheries – Marine Fisheries” – saving of ₹700.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs); and

- (v) “मत्स्य पालन - अंतरदेशीय मत्स्य पालन” - ₹273.66 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

बचतें उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

- (VII) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹408.89 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 92 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹11931.50 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

- (का) मुख्य शीर्ष “2403” -

- (क) “पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य” -

- (i) “क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं” - ₹439.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹438.80 लाख था।

- (ii) “राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली” - ₹4757.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2511.89 लाख था।

- (ख) “सूअर बाड़ा विकास - सूअर बाड़ा विकास” - ₹259.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹258.80 लाख था।

- (खा) मुख्य शीर्ष “2404” -

- (क) “डेरी विकास परियोजनाएं” -

- (i) “सहकारिताओं को सहायता” - ₹160.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹159.70 लाख था।

- (v) “Fisheries – Inland Fisheries” – saving of ₹273.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to non-receipt of sufficient proposals from different States.

- (VII) Under five heads savings of ₹408.89 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 12 percent to 92 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹11931.50 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹4.00 lakhs in November, 2011 and March, 2012 and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

- (A) Major Head “2403”-

- (a) “Veterinary Services and Animal Health”-

- (i) “Regional Disease Diagnostic Laboratories” – ₹439.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹438.80 lakhs.

- (ii) “National Animal Disease Reporting System (NADRS)” - ₹4757.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2511.89 lakhs.

- (b) “Piggery Development - Piggery Development” – ₹259.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹258.80 lakhs.

- (B) Major Head “2404”-

- (a) “Dairy Development Projects”-

- (i) “Assistance to Cooperatives” – ₹160.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹159.70 lakhs.

(ii) “गहन डेरी विकास कार्यक्रम” - ₹1962.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1959.82 लाख था।

(iii) “डेरी उद्यमिता विकास” - ₹3171.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹3170.70 लाख था।

(ख) “दिल्ली दुग्ध योजना - अधिप्राप्ति” - ₹983.50 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹919.15 लाख था।

(ग) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - सघन डेरी विकास कार्यक्रम” - ₹200.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹199.90 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) मुख्य शीर्ष “2403” - “गाय और भैंस विकास - पशु बीमा” - ₹250.00 लाख का अधिक व्यय (₹2759.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) मुख्य शीर्ष “2405” - “अन्य व्यय - राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड” - ₹1192.00 लाख का अधिक व्यय (₹7808.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” -

(क) “केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान-पशु पालन-गाय और भैंस विकास-एकीकृत नमूना सर्वेक्षण” - ₹454.27 लाख का अधिक व्यय (₹735.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान”-

(ii) “Intensive Dairy Development Programme” - ₹1962.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1959.82 lakhs.

(iii) “Dairy Entrepreneurship Development” - ₹3171.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3170.70 lakhs.

(b) “Delhi Milk Scheme - Procurement” - ₹983.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹919.15 lakhs.

(c) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Intensive Dairy Development Programme” - ₹200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹199.90 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2403” - “Cattle and Buffalo Development - Livestock Insurance” - excess of ₹250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2759.00 lakhs); and

(B) Major Head “2405” - “Other Expenditure - National Fisheries Development Board” - excess of ₹1192.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7808.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head “3601”-

(a) “Grants for Central Plan Schemes - Animal Husbandry - Cattle and Buffalo Development - Integrated Sample Survey” - excess of ₹454.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹735.00 lakhs); and

(b) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -

(i) “पशुपालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य”
-

- (1) “पशु रोग नियंत्रण” - ₹2800.41 लाख का अधिक व्यय (₹2538.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और राज्य सरकारों से अतिरिक्त मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

- (2) “विद्यमान अस्पतालों/औषधालयों का सुदृढीकरण” - ₹2061.46 लाख का अधिक व्यय (₹7780.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

- (3) “राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹272.29 लाख का अधिक व्यय (₹770.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ii) “पशुपालन - कुक्कुट विकास - राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता” - ₹218.85 लाख का अधिक व्यय (₹593.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iii) “डेरी विकास - डेरी विकास परियोजनाएं” -

- (1) “गहन डेरी विकास कार्यक्रम” - ₹270.00 लाख का अधिक व्यय (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(i) “Animal Husbandry –Veterinary Services and Animal Health” –

- (1) “Animal Disease Control” – excess of ₹2800.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2538.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects / schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and receipt of additional demands from the State Governments.

- (2) “Strengthening of existing hospitals/ dispensaries” – excess of ₹2061.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7780.00 lakhs); and

- (3) “National Control Programme on Brucellosis” – excess of ₹272.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹770.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects / schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) “Animal Husbandry – Poultry Development – Assistance to State Poultry/ Duck Farms” – excess of ₹218.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹593.00 lakhs);

(iii) “Dairy Development – Dairy Development Projects”-

- (1) “Intensive Dairy Development Programme” – excess of ₹270.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs); and

- (2) “गुणवतायुक्त और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण” - ₹1030.00 लाख का अधिक व्यय (₹1070.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय विभिन्न राज्य सरकारों से चालू परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

- (iv) “मत्स्य पालन - अंतर्देशीय मत्स्य पालन - अंतर्देशीय जल संस्कृति और मत्स्य पालन विकास” - ₹558.06 लाख का अधिक व्यय (₹2268.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

- (V) “मत्स्य पालन - समुद्री मछली पालन” -

- (1) “समुद्री मछली पालन, अवसंरचना और फसल के बाद के कार्यों का विकास” - ₹665.91 लाख का अधिक व्यय (₹3667.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केरल और कर्नाटक से चालू फीशिंग हार्बर परियोजनाओं के लिए नए प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

- (2) “ राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण और मत्स्य पालन प्रशिक्षण और विस्तार” - ₹1570.37 लाख का अधिक व्यय (₹1300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मछुआरों के आवासों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष “3602” - “केंद्रीय रूप से प्रयोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - मत्स्य पालन - समुद्री मछली पालन” -

- (2) “Strengthening Infrastructure for Quality and Clean Milk Production” – excess of ₹1030.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1070.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to requirement of additional funds by different State Governments for completion of the ongoing projects.

- (iv) “Fisheries- Inland Fisheries – Development of Inland Aquaculture and Fisheries” – excess of ₹558.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2268.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

- (v) “Fisheries – Marine Fisheries”-

- (1) “Development of Marine Fisheries, Infrastructure and Post Harvest Operations” – excess of ₹665.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3667.00 lakhs) was due to receipt of new proposals from Kerala and Karnataka for the ongoing Fishing Harbour projects.

- (2) “National Welfare of Fishermen and Fisheries Training and Extension” – excess of ₹1570.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by State Governments for completion of Fishermen Houses.

(D) Major Head “3602” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Fisheries - Marine Fisheries” -

(क) “समुद्री मछली पालन, अवसंरचना और फसल के बाद के कार्यों का विकास”- ₹600.00 लाख का अधिक व्यय (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू फीशिंग हार्बर को पूरा करने के लिए पुदुचेरी सरकार द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) “राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण और मत्स्य पालन प्रशिक्षण और विस्तार” - ₹235.15 लाख का अधिक व्यय (₹270.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुदुचेरी सरकार द्वारा मछुआरों के आवासों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹243.80 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 32 प्रतिशत से 340 प्रतिशत तक था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(a) “Development of Marine Fisheries, Infrastructure and Post Harvest Operations” – excess of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by Government of Pondicherry for completion of ongoing fishing harbour.

(b) “National Welfare of Fishermen and Fisheries Training and Extension” – excess of ₹235.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹270.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by Government of Pondicherry for construction of fishermen houses.

(III) Under three heads excess of ₹243.80 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 32 percent to 340 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head				
मुख्य शीर्ष “4403” पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4403” Capital Outlay on Animal Husbandry			
मू.	O.	824.00		
पु.	R.	-204.00		
		620.00	418.44	-201.56
मुख्य शीर्ष “4405” मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4405” Capital Outlay on Fisheries			
मू.	O.	750.00		
पु.	R.	-62.00		
		688.00	559.20	-128.80

(I) मुख्य शीर्ष “4403” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवाएं” - ₹288.23 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) “गाय और भैंस विकास - केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म” - ₹109.64 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष “4405” - “विस्तार और प्रशिक्षण - भारतीय मत्स्य पालन सर्वेक्षण” के अंतर्गत ₹115.32 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मुंबई में कार्यालय भवन के निर्माण की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹52.94 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थी।

(I) Under Major Head “4403”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Veterinary Services and Animal Health – Animal Quarantine and Certification Services”- saving of ₹288.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 500.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from different States.

(B) “Cattle and Buffalo Development - Central Cattle Breeding Farms” – saving of ₹109.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to slow pace of work by Central Public Works Department.

(II) Under Major Head “4405” - “Extension and Training – Fishery Survey of India”—saving of ₹115.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to slow pace of construction of Office Building at Mumbai by Central Public Works Department.

(III) Under one head saving of ₹52.94 lakhs occurred constituting 18 percent of the sanctioned provision.